



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव/ Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक : 005/2013/शुल्क वापसी/01/429

तिथि : 07.11.2017

कार्यालय आदेश

नियमित पाठ्यक्रम के साथ सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों से इंटरनेट/पुस्तकालय/सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेलकूद/चिकित्सा शुल्क चूंकि नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय लिया जाता है, अतः उनसे उक्त मद में लिया गया शुल्क वापस किया जाता है।

क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद पर कंप्यूटर एवं प्रयोगशाला की उपलब्धता सुनिश्चित होने तक उक्त केंद्र के विद्यार्थियों को इंटरनेट शुल्क से मुक्त रखा जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)

07/11/17

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. वित्त अधिकारी कार्यालय।
4. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण कार्यालय।
5. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता।
7. सभी विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक एवं प्रभारी अध्यक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके विभाग/केंद्र के नियमित पाठ्यक्रम के साथ सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों को सूचित करें कि वे शुल्क वापसी के लिए अकादमिक विभाग में शुल्क चालान के साथ आवेदन करें।
8. सहायक कुलसचिव (परिषद) को विद्या-परिषद की आगामी बैठक की कार्यसूची में शामिल करने के लिए।
9. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
10. कार्यालय प्रति।